

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-02012023-241588
SG-DL-E-02012023-241588

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 552]	दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2022/पौष 9, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 420
No. 552]	DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2022/PAUSHA 9, 1944	[N. C. T. D. No. 420

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस – 2) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2022

फा. सं. /2/1/1988/गृह पुलिस-2/खण्ड-I/3107-3110.—चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा करना आवश्यक है :

इसलिये, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2 के खण्ड (ई) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि दिल्ली पुलिस आयुक्त भी 19/01/2023 to 18/04/2023 तक की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) की शक्तियों का प्रयोग निरोध प्राधिकारी के रूप में कर सकते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश तथा उनके नाम पर,

राजन भटनागर, उप-सचिव (गृह-II)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 30th December, 2022

F. No. 2/1/88/HP-II/Pt.-I/3107-3110.—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that it is necessary to do so;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (3) of section 3, read with clause (e) of Section 2 of the National Security Act, 1980, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to direct that during the period **19/01/2023 to 18/04/2023** the Commissioner of Police, Delhi may also exercise the powers of detaining authority under sub section (2) of the section 3 of the aforesaid Act.

By order and in the name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
RAJAN BHATNAGAR, Dy. Secy. (Home-II)